प्रदेश की नई आबकारी नीति इसी माह आएगी

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

● फुटकर शराब, बीयर विक्रेताओं को मिल सकती है कुछ राहत

अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नयी आबकारी नीति इसी महीने आने की उम्मीद है। इसमें शराब व बीयर की फुटकर दुकानों के लाइसेंस के नवीनीकरण के साथ ही फुटकर विक्रेताओं के लाइसेंस शुल्क और न्यनूतम कोटा को न बढ़ाए जाने के प्रस्ताव शामिल हैं।

आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी. शराब व बीयर के फुटकर विक्रेताओं के प्रतिनिधियों से मिले थे। इन प्रतिनिधियों ने अपना लाभांश काफी होने की वजह से दुकान संचालन में पेश आ रही दिक्कतों के बारे में अवगत करवाया। शराब व्यापारी की मांग है कि लाभांश बढ़ाया जाए व 2022-23 से अंग्रेजी व बीयर का कोटा खत्म किया जाए।

शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश) के अध्यक्ष सरदार एसपी सिंह ने बताया 13 नवंबर की बैठक में एसोसिएशन व उत्तर प्रदेश के बड़े व्यापारियों ने यही मांग की थी कि लाभांश बढ़ाया जाए अंग्रेजी तथा बीयर का कोटा खत्म किया जाए यदि यह मांगे पूरी नहीं होती है तो नवीनीकरण का प्रतिशत बहुत गिर जाएगा। यह बात तो लगभग तय हो गयी कि इस नयी नीति में बीयर व शराब के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे।